दिनांक 13.08.2009 को आयोजित राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक का कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 13.08.09 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गयी जिसमें प्राधिकरण के सदस्य एवं अन्य आमन्त्रित अधिकारीगण चर्चा हेतु उपस्थित हुए जिनका विवरण परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

1. बैठक की शुरूआत करते हुए मुख्यसचिव महोदया ने प्रदेश में कमजोर मानसून की स्थिति से अवगत कराते हुए यह स्पष्ट किया कि इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से 34 प्रतिशत कम वर्षा हुई है, साथ ही मानसून में आये ठहराव एवं समय पर वर्षा नहीं होने के कारण तथा इस दौरान तापमान का भी सामान्य से अधिक हो जाने से खरीफ फसल को अत्यधिक नुकसान पहुँचा है। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा इस संबंध में प्रेषित रिपोर्ट का भी जिक्र किया। मुख्यसचिव महोदया ने इस संबंध में 8 अगस्त, 09 को दिल्ली में हुई बैठक का उल्लेख करते हुए मानसून व खरीफ फसल की उत्पादकता पर हो रहे प्रतिकूल प्रभाव का भी उल्लेख किया।

2. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने कमजोर मानसून का उल्लेख करते हुए यह अवगत कराया कि प्रदेश में इस वर्ष मानसून के दौरान सामान्य से 34 प्रतिशत से भी कम वर्षा हुई है तथा मानसून के दौरान 13 दिन से अधिक का ठहराव रहा है, जिससे खरीफ फसल की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पडा है एवं काफी नुकसान होने की भी संभावना है। यह भी अवगत कराया गया कि पूरे प्रदेश के किसी भी संभाग में सामान्य से अधिक वर्षा नहीं हुई है तथा 150 एम.सी.एफ.टी. की क्षमता वाले बडे, मध्यम बांधों की कुल भराव क्षमता का एक तिहाई ही वर्तमान में भरा हुआ है एवं 108 ऐसे बांध खाली पडे हुए हैं। इसी प्रकार से 346 लघु बांधों में से 183 लघु बांध खाली पडे हुए हैं एवं इनकी कुल भराव क्षमता का 1/8 हिस्सा ही लगभग भरा हुआ है। शासन सचिव आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के लगभग 237 में से 198 विकास खण्डों के भू–जल के अत्यधिक दोहन से भू–जल स्तर में गिरावट आ गयी है तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार की गयी आपातकालीन पेयजल योजना अनुसार आने वाले समय में 145 कस्बों में तथा 22000 से भी अधिक ग्राम व ढाणियों में पेयजल परिवहन करने की स्थिति बन जायेगी।

इसके अलावा बडे बांध जैसे राणा प्रताप सागर, पोंग डेम इत्यादि के जल स्तर में कमी आने के कारण नहरी क्षेत्रों में भी पेयजल तथा सिंचाई का संकट बना हुआ है। कृषि विभाग द्वारा प्रेषित रिपोर्ट की जानकारी देते हुए उन्होंने अवगत कराया कि कृषि विभाग द्वारा गैर नहरी क्षेत्र में फसल की उत्पादकता में 70 प्रतिशत तक गिरावट की संभावना व्यक्त की गयी है तथा नहरी क्षेत्र में फसल की उत्पादकता में 50 प्रतिशत से भी अधिक की गिरावट का ऑकलन किया गया है। उन्होने अवगत कराया कि पूर्व में विशेष गिरदावरी के आदेश दे दिये गये हैं। इसकी रिपोर्ट 25.8.09 तक आने की संभावना है तथा प्रकरण प्राधिकरण के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

3. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवगत कराया कि पेयजल की आपातकालीन योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा 213 करोड रूपये स्वीकृत कर दिये गये हैं एवं उस पर कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि विभाग द्वारा आपातकालीन योजना तैयार कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भी प्रेषित कर दी गई है।

4. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गर्मी के मौसम को देखते हुए एवं पूरे प्रदेश में उत्पन्न हो रही अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर 15 करोड की लागत से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के शिविर आयोजित किये जाएगें, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग के पास पर्याप्त दवाईयॉ उपलब्ध है। इसी प्रकार से पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन के संरक्षण की गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी गयी तथा निकट भविष्य में उत्पन्न होने वाली चारे की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया।

5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग द्वारा अवगत करया गया कि फसल की उत्पादकता पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पडा है एवं फसल की दिखने वाली हरियाली से उसकी उत्पादकता का ऑकलन नहीं किया जा सकता तथा फसल की उत्पादकता में 50 से 70 प्रतिशत से भी अधिक की कमी हो सकती है। उन्होने यह स्पष्ट किया कि विभाग ने अपने स्तर पर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 9 करोड की लागत से 4 लाख चारे के मिनि किट्स क्रय कर वितरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। उन्होने यह भी बतलाया कि विभाग के पास वर्तमान में 8 करोड रूपये आपात व्यवस्था हेतु सुरक्षित रखे गये हैं।

उपरोक्तानुसार हुए गहन विचार विमर्श के पश्चात निम्न निर्णय लिये गये :—

क. प्रदेश में उत्पन्न हो रही अभाव की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में दिये गये विशेष गिरदावरी के आदेश पर त्वरित गति से क्रियान्विति निश्चित करने हेतु जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया जाए, जिससे कि शीघ्र रिपोर्ट प्राप्त कर स्थिति का ऑकलन किया जा सके।

ख. विभिन्न विभागों द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण के आधार पर यह निर्णय लिया गया कि अभावग्रस्त घोषित होने वाले जिलों की अकाल राहत गतिविधियों के सुचारू संचालन, समीक्षा एवं प्रबन्धन के लिये तथा अभाव की स्थिति में आम नागरिकों की सेवा से जुडे विभाग जैसे — चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चारा, पेयजल तथा उर्जा जैसे विभागों के संबंध में पृथक से 5 टास्क फोर्स का गठन किया जाए तथा उसके आदेश आज ही प्रसारित किये जाए। ये टास्क फोर्स माननीय मुख्यमन्त्री जी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग की अध्यक्षता में गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

ग. माननीय मुख्यमन्त्री जी ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि प्रत्येक जिले में गठित जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को भी सुदृढ कर उनमें आवश्यकतानुसार विशेष आमन्त्रित सदस्यों के रूप में अन्य सदस्यों को जोडते हुए अभावग्रस्त क्षेत्रों की राहत गतिविधियों के सुचारू संचालन,समीक्षा एवं प्रबन्धन व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा इसी प्रकार की निगरानी समिति, विकास खण्ड स्तर पर भी गठित की जाए, जिससे कि आम नागरिकों को ऐसी कठिन समय में आवश्यक राहत प्राप्त हो सके।

घ. प्रदेश में उत्पन्न हो रही अभाव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से भू—राजस्व के स्थगन के संबंध में प्रारंभिक ऑकलन कर रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। इसी प्रकार से सहकारिता विभाग के माध्यम से अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों में परिवर्तित करने के संबंध में प्रारंभिक ऑकलन रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए। इसी प्रकार वाणिज्यिक बैंकों से भी कार्यवाही करने हेतु रिजर्व बैंक को लिखा जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार से

आबयाना शुल्क को भी स्थगित करने के संबंध में जिला कलेक्टरों के माध्यम से ऑकलन करवा लिया जाए एवं यह रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त कर ली जाए। यह भी निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में से अनुग्रह सहायता हेतु पात्र व्यक्तियों का ऑकलन करवा लिया जाए।

च. यह निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग द्वारा चारे की कमी नहीं आने हेतु समस्त आवश्यक कदम उठाए जाए, जिससे कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो।

छ. नरेगा के तहत 100 दिवस के रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों में से एक सदस्य को माह में अधिकतम 10 दिवस का रोजगार आपदा राहत कोष के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।

ज. पेयजल व चारे का रेल के माध्यम से निशुल्क परिवहन कराये जाने हेतु भारत सरकार को इस संबंध में पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

झ. पेयजल परिवहन हेतु डीजल के पुनर्भरण करवाने के लिये पेट्रोलियम मन्त्रालय को पत्र लिखने का भी निर्णय लिया गया।

प. यह भी निर्णय लिया गया कि अभाव की स्थिति में गैर सरकारी संस्थाओं, आम नागरिकों तथा अप्रवासी राजस्थानियों को अधिकाधिक जोडा जाए जिससे कि उनका भरपूर सहयोग प्राप्त हो सके।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(हस्ताक्षर) 18/8/09

शासन सचिव

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

परिशिष्ट – 1

आज दिनांक 13.08.09 को माननीय मुख्यमन्त्री जी की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की मुख्यमन्त्री सचिवालय में सांय 4.00 बजें सम्पन्न हुई बैठक में निम्न मन्त्रीगण/ अधिकारीगण उपस्थित हुए :–

1. माननीय उर्जा एवं आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री
2. माननीय कृषि एवं पशुपालन मन्त्री
3. माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री
4. माननीय जल संसाधन मन्त्री
5. मुख्य सचिव महोदया
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय
7. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग
8. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग
9. प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग
10. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
11. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग
12. प्रमख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
13. प्रमुख शासन सचिव, पशु पालन विभाग
15. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमन्त्री कार्यालय
16. आयुक्त एवं शासन सचिव, नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना)
17. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग